खस्ता हाल ब्यावर मुख्य मार्ग की दशा सुधारने की मांग

अजमेर, (कासं)। अजमेर शहर के ब्यावर रोड मुख्य मार्ग सहित शहीद भगत सिंह मार्ग तिराहे पर खस्ता हाल सडक् बडे बड़े गड्ढे और उन गड्ढों में भरा पानी के चलते आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार होकर चोटिल हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों सहित ब्यावर रोड व्यापारिक संघ व सुभाष नगर व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से खास्ता हाल सडक् की दुर्दशा सुधारने की मांग की है, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मानसून की बरसात से पहले डामरीकरण नहीं हुआ तो सडक् मार्ग अवरुदध कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत दिनों आनासागर झील के जलस्तर को घटाने के लिए जो गेट खोले गए हैं उसका पानी भी खानपुरा क्षेत्र के मार्ग पर भरा है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ब्यावर रोड व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों हमीद उल्ला, राकेश कैलाश शर्मा तथा सुभाष नगर व्यापारिक एसोसिएशन के चेतनी सैनी, सरदार रणजीत सिंह सलूजा, मंजीत सिंह सलूजा, देवेंद्र जादम सहित अन्य ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को पत्र लिखकर सडक् की दुर्दशा सुधारने की मांग की है। उन्होंने बताया कि ब्यावर रोड एचएमटी यूनियन, हांडी रेस्टोरेन्ट के सामने शहीद भगत सिंह तिराहे पर चन्द्रवरदाई नगर पर बरसात का पानी भरा रहता है। और यह मार्ग खानपुरा, आजाद नगर, कंचन नगर, संजर नगर, तबीजी, डूमाड़ा ब्यावर, उदयपुर बॉम्बे अहमदाबाद मेन हाइवे ट्रांसपोर्ट नगर का मुख्य रास्ता यही है, यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 है। इसी मार्ग पर सब्जी मंडी, अनाज मंडी, दूध डेयरी स्थापित है।

बरसात के मौसम में सडक् पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण बरसात का पानी भर जाता है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। इसी मार्ग से स्कूल के बच्चे, आमजन को गन्दे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। पानी भरा होने के कारण गढ्डे दिखाई नहीं देते हैं जिस कारण हादसे होते हैं।

उन्होंने कहा कि एक ओर जहां शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य मार्ग पर पानी भरा होना स्मार्ट सिटी शहर की गरिमा धब्बा लगा रहा है, उन्होंने कहा कि लोहार वर्ग ने सडक् के दोनों ओर अस्थाई कब्जा कर रखा है जिनके बच्चे भी सडक़ों पर खेलते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। जून में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही बरसात का मौसम निकट है। कोई बड़ा हादसा घटित हो उससे पहले सडक़ों के गड्ढों की मरम्मत कराकर डामरीकरण का कार्य कराया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग का शीध्र निराकरण नहीं किया गया तो मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

मॉक ड्रिल की

अजमेर, (कासं)। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा के. रविंदर, निदेशक, अजमेर क्षेत्र-1 की अध्यक्षता में डीजीएमएस, अजमेर क्षेत्र 1 और 2 के कार्यालय परिसर में मॉक ड्रिल फॉर फायर प्रिपेयर्डनेस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपात स्थिति के दौरान जागरूकता और प्रतिक्रिया कौशल को बढ़ाना था।

डॉ. आई. सत्यनारायण, निदेशक, अजमेर क्षेत्र-1 ने फायर प्रिपेयर्डनेस के लिए मॉक ड्रिल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अग्नि निकासी प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने, कार्यस्थल में व्यक्तियों की आपातकालीन तैयारी की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति आग की घटनाओं में तुरन्त बचाव के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं, एक फायर एमरजेंसी परिदृश्य का अनुकरण किया। डीजीएमएस ने बताया कि फायर एमरजेंसी अभ्यास हर छह महीने में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल के आयोजन में रजनीश सिगर, डीडीएमएस भी शामिल थे।

धाकड़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने

शाहपुरा । राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक व भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय विनायक जोशी व राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह बंजारा के निर्देशानुसार रामेश्वर लाल धाकड़ को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर संपूर्ण राजस्थान में खुशी की लहर दौड़ गई ।

LSG/BEAWAR/MUT/2025/131986
DATE :- 23.05.2025 रजि. बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26 /3211 दिनांक-06-06-25

सार्वजनिक सूचना

श्री आनन्द स्वरूप गहलोत पुत्र श्री रामस्वरूप गहलोत निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 4 शाहपुरा मालियान चौराहा मार्ग म्यु नं. 4/60 मकान नं. 31 का भाग क्षेत्रफल 14.22 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री भगवानदास पुत्र श्री किशनचंद के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि-बेचान-नामा दिनांक 13.05.2025 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है।

अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति विचारणीय नहीं होगी। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2025/132149
DATE :- 24.05.2025 रजि. बख्शीश-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26 /3214 दिनांक-06-06-25

सार्वजनिक सूचना

श्री अजय कुमार भाटी पुत्र श्री ओमप्रकाश भाटी निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 5 नानेश नगर नया नगर जवाहर भवन रोड खसरा नं. 1641/1, मकान नं. 08 व 09 का दक्षिणी भाग क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्रीमती सिद्धकंवर पत्नी श्री ओमप्रकाश के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि बख्शीश-नामा दिनांक 03.05.2025 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति विचारणीय नहीं होगी।
आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह की ग्राम घूघरा के खसरा नंबर 796 पुराना 570 नया भूखण्ड संख्या 25 में क्षेत्रफल 220.69 वर्गगज के भूखण्ड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी। -उपायुक्त (उत्तर), अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

LSG/BEAWAR/MUT/2025/134315
DATE :- 10.06.2025 रजि. बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26 /3494 दिनांक 13-06-25

सार्वजनिक सूचना

श्री गोपीचन्द मानकानी व श्री उमेश मानकानी पुत्र श्री नारायण दास जी निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 6 नन्द नगर गली नं. 01 मकान नं. 86 प्लाट नं. 86-ए व 86-बी क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री राजेश सावलानी पुत्र श्री नाथूमल व श्रीमती दीपा सावलानी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार सावलानी के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि बेचान-नामा दिनांक 14.08.2019 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति विचारणीय नहीं होगी।
आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2025/134290
DATE :- 10.06.2025 रजि. बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26 /3495 दिनांक 13-06-25

सार्वजनिक सूचना

श्री गोपीचन्द मानकानी व श्री उमेश मानकानी पुत्र श्री नारायण दास जी निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 6 चांग सितार रोड प्राचीन मु नं. 8/1 मकान नं. 34 नया मकान नं. 02 दुकान नं. 01 का पूर्वी भाग प्रा दुकान नं. 01-ए जी.एफ क्षेत्रफल 17.42 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री घनश्याम राजवानी पुत्र श्री मुरलीधर जी राजवानी के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि रजि बेचान-नामा दिनांक 07.04.2017 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर)पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति विचारणीय नहीं होगी।
आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक: 426 जाहिर आम सूचना दिनांक: 13/06/2025

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 3-ग-6, धोलाभाट,अजमेर क्षेत्रफल 110.00 वर्ग गज मूल आवंटी श्री हीरानन्द आसवानी पुत्र श्री रूपचन्द को आवंटित कर दिनांक 09.11.1976 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री हीरानन्द आसवानी पुत्र श्री रूपचन्द की मृत्यु दिनांक 18.12.2022 को हो जाने के कारण एवं श्रीमती मोहिनी देवी आसवानी पत्नि श्री हीरानन्द आसवानी की मृत्यु दिनांक 01.10.2008 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री सुरेश आसवानी पुत्र स्व. श्री हीरानन्द आसवानी द्वारा मृत्यु पश्चात आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्री सुरेश आसवानी पुत्र स्व. श्री हीरानन्द आसवानी के पक्ष में श्री लीलाराम आसवानी पुत्र स्व. श्री हीरानन्द आसवानी द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्री सुरेश आसवानी पुत्र स्व. श्री हीरानन्द आसवानी ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री सुरेश आसवानी पुत्र स्व. श्री हीरानन्द आसवानी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सहायक प्रशासनिक अधिकारी,राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक:न.नि.अ./25-26/भवन/97 आपति सूचना दिनांक-12/06/2025

श्री ओजस कुमार पुत्र श्री पीयूष कुमार निवासी कुमार कुटीर ब्यावर रोड, अजमेर द्वारा एक सम्पति/भूखण्ड संख्या 19 जो वाके माकड़वाली स्कीम नम्बर 01 आनासागर सरक्यूलर रोड योजना अशोक मार्ग अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 250.92 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है।

पूर्व में- 60 फुट चौड़ा रास्ता पश्चिम में- आवासीय भूखण्ड श्री केसरीचन्द चौधरी का
उत्तर में- आवासीय भूखण्ड संख्या 20 दक्षिण में- नाला तत्पश्चात रास्ता आम 80 फुट चौड़ा

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति / संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त, नगर निगम अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक:न.पा.बि. /निर्माण.स्वी./2025/1194 आम सूचना दिनांक-12/6/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है,अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/आपत्ति मान्य नहीं होगी। भवन निर्माण

फाईल नं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
46	विष्णु खाती पुत्र काना खाती	विश्वामित्र कॉलोनी बिजयनगर ख.सं. 41 व 42 भू.सं. 44 का पश्चिमी हिस्सा	71.11 SQ. Yards	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक:नपकि/नाम हस्तांतरण/2025/1677 आम सूचना दिनांक-13/6/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 26,28,35,36, 41 पर स्थित 'खुशी मार्बल सिटी' के आवासीय (भूखण्ड संख्या बी-194 क्षेत्रफल 97.53 वर्गगज) पर श्रीमती किस्मत कंवर पत्नि श्री यौधा सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-
पूर्व में- अन्य भूमि पश्चिम में- 30 फीट चौड़ा रास्ता
उत्तर में- भूखण्ड संख्या बी-195 दक्षिण में- भूखण्ड संख्या बी-193

अतः उक्त नाम हस्तान्तरण प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। प्रभारी , नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक:नपकि/नाम हस्तांतरण/2025/1675 आम सूचना दिनांक-13/6/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 26,28,35,36, 41 पर स्थित 'खुशी मार्बल सिटी' के आवासीय (भूखण्ड संख्या बी-195 क्षेत्रफल 97.79 वर्गगज) पर श्रीमती किस्मत कंवर पत्नि श्री यौधा सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-
पूर्व में- अन्य भूमि पश्चिम में- 30 फीट चौड़ा रास्ता
उत्तर में- भूखण्ड संख्या बी-196 दक्षिण में- भूखण्ड संख्या बी-194

अतः उक्त नाम हस्तान्तरण प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। प्रभारी , नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक: न.प.कि./कृषि भूमि नियमन/2025/700 -: आम सूचना :- दिनांक: 12/6/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी के खसरा 286 का भूखण्ड 126 का कुल क्षेत्रफल 195.72 वर्गगज का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहने हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपतियां/मय साक्ष्य/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं. व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1	श्रीमती नीता देवी पत्नि श्री श्रवण कुमार निवासी मालियों की ढाणी मदनगंज किशनगढ़	किशनगढ़-बी 286 195.72 वर्गगज	आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहने हेतु

आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद, पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान

क्रमांक:नपपु /भूमि/2025/821 उजरदारी सूचना दिनांक-13/6/2025

निम्न आवेदक ने अपनी खरीदशुदा/आवंटित सम्पत्ति के भवन निर्माण स्वीकृति हेतु नगर परिषद पुष्कर में आवेदन किया है जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था इत्यादि को उक्त कार्यवाही में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति विझिप्ति प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर ठोस सबूत मय दस्तावेज के आधार पर नगर परिषद पुष्कर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं परिषद द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

क्र.सं.	आवेदक नाम मय पिता/पति	सम्पत्ति का विवरण	चतुर्थ सीमा	
1	श्री विक्रम शर्मा पुत्र श्री मदन मोहन शर्मा	भूखण्ड संख्या 20, क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज पी.एच.ई.डी ऑफिस के पीछे मोतीसर रोड ग्राम गनाहेड़ा पुष्कर	पूर्व- रास्ता पश्चिम- प्लाट नं. 15	उत्तर- रास्ता दक्षिण-प्लाट नं. 21

आयुक्त नगर परिषद पुष्कर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे है और अनियमित हो गए हैं, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	सैक्शन 13 (2) के नोटिस की तिथी	सैक्शन 13 (2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	35826960	सम्पत्ति पर ऋण	21.05.2025	49,00,213.28/-

ऋणग्रहिताओं एवं सह-ऋणग्रहिताओं का नामः 1. हासन मंसूरी 2. फयाजुद्दीन रहीम बख्श 3. मैना फयाजुद्दीन

सम्पत्ति पता- प्लाट एरिया 80.22 वर्गगज का पूरा व प्रत्येक भाग, प्लाट नं. निज (अधिकार पत्र नं.593) वार्ड नं.34, बहाला, तहसील एवं जिला-भीलवाडा, राजस्थान-311001 तथा सीमायें है- पूर्व-शकूर इब्राहिम, पश्चिम-गुलाम मोहम्मद, उत्तर-सार्वजनिक रास्ता, दक्षिण-अकबर मेवाती

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	सैक्शन 13 (2) के नोटिस की तिथी	सैक्शन 13 (2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	154739035 एवं 1493541713	गृह ऋण	21.05.2025	39,91,582.31/-

ऋणग्रहिताओं एवं सह-ऋणग्रहिताओं का नामः 1. मुस्तकिम सोरगर 2. नफीसा बानू सोरगर

सम्पत्ति पता- रिहायशी प्लाट नं.16 पर बने मकान के पूर्वी हिस्से का पूरा व प्रत्येक भाग, प्लाट एरिया 752 वर्ग फिट (1504 वर्ग फिट में से) अराजी नं. 1601, राजस्व ग्राम-भीलवाडा, तहसील व जिला-भीलवाडा, राजस्थान-311001 और सीमायें है और सीमायें है- पूर्व-इस प्लाट का भाग जो अफसाना बानू का है, पश्चिम-इस प्लाट का भाग जो असलम जी का है, उत्तर-रोड 30 फिट, दक्षिण-प्लाट नं. 15/1601

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	सैक्शन 13 (2) के नोटिस की तिथी	सैक्शन 13 (2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	77565307 एवं 81269800	गृह ऋण	31.05.2025	31,39,217.38/-

ऋणग्रहिताओं एवं सह-ऋणग्रहिताओं का नामः 1. राधेश्याम बैरवा, 2. द्वारिका बैरवा

सम्पत्ति पता- रिहायशी प्लाट नं. 74 का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 66.66 वर्ग गज, अराजी नं. 168/1, राजस्व ग्राम-अतून, तहसील एवं जिला-भीलवाडा, राजस्थान-311001 और सीमायें है- पूर्व-रोड 30 फिट, पश्चिम-प्लाट नं. 50, 51, उत्तर-प्लाट नं.73, दक्षिण-प्लाट नं. 75

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांक- 14.06.2025 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित
स्थान- राजस्थान और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता हैं)

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़

नैक द्वारा ग्रेड A++ मान्यता प्राप्त
यूजीसी द्वारा श्रेणी-I विश्वविद्यालय का दर्जा

राकेविवि/आर/एफ.166/2025/989 दिनांक :13.06.2025

स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश 2025-26

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय मे अकादमिक सत्र 2025-26 में निम्नलिखित कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है :

- पीएच.डी. कार्यक्रम - यूजीसी/सीएसआईआर - नेट/जेआरएफ, जेस्ट, जीएटीई, जीपीएटी, डीबीटी-जेआरएफ प्रायोजित/ पात्र अभ्यर्थी
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम - सीयूईटी 2025 का वैध प्राप्तांक

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट : www.curaj.ac.in देखें। कुलसचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर की प्राइम लोकेशन जगतपुरा में

सेन्ट्रल स्पाईन योजना स्थित व्यावसायिक भूखण्ड एवं रामचन्द्रपुरा योजना स्थित संस्थानिक भूखण्ड

ई-नीलामी के माध्यम से खरीदने का सुनहरा अवसर

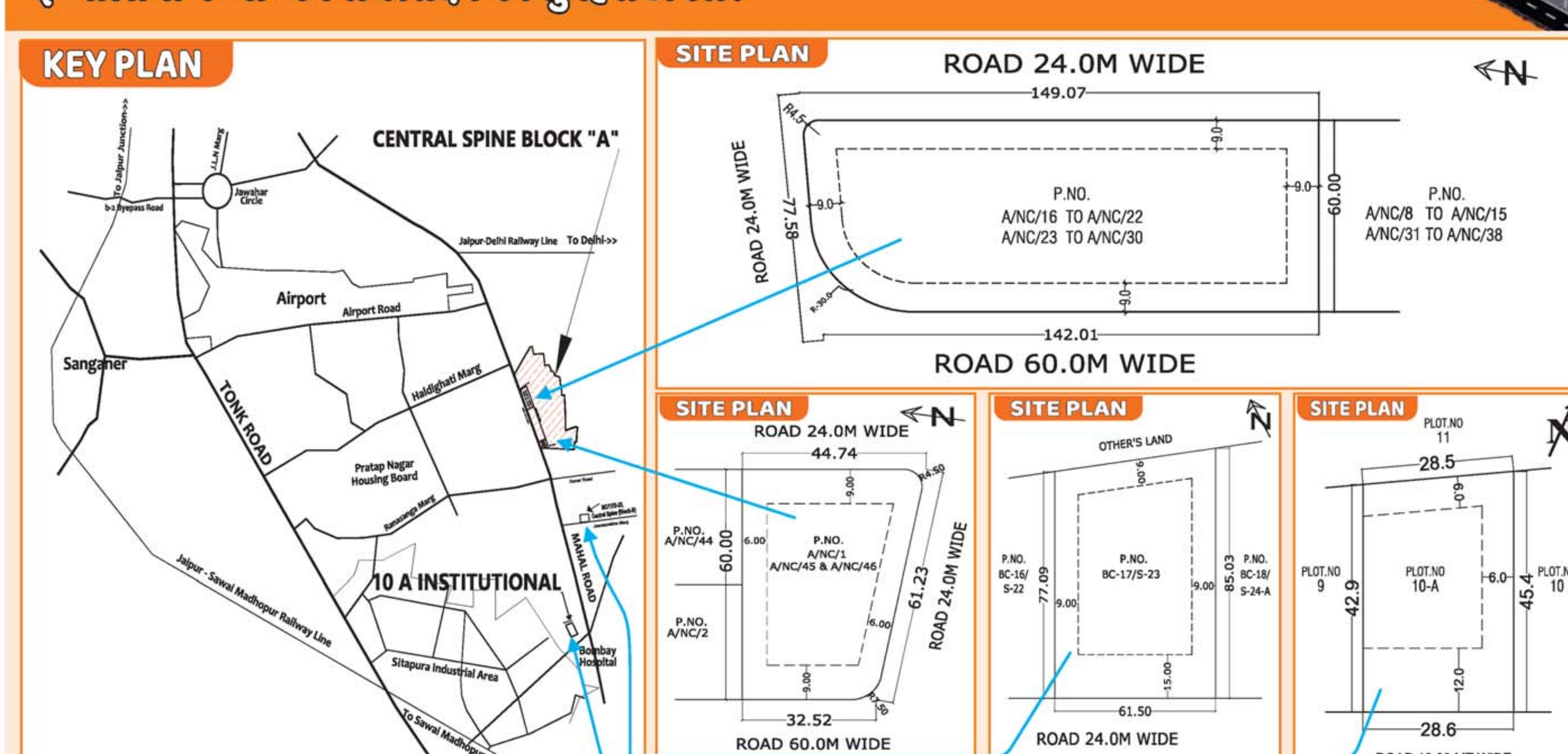

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	कॉर्नर हाँ/ना	साईज (वर्ग मीटर)	प्रकार	बी.ए.आर./एफ.ए.आर. अधिकतम ऊंचाई (मीटर) अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	अमानत राशि (रुपये)	बोली प्रारम्भ करने की दर (प्रति व.मी.)	अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	नीलामी की अंतिम तिथि व समय
1	व्यावसायिक प्लॉट नं. A/NC/16 To A/NC/22 & A/NC/23 To A/NC/30 (Corner) Central Spine(Block-A), Jaipur (Zone-9)	हाँ	8570.11	व्यावसायिक	नियमानुसार	5,22,77,680	3,05,000	27.06.2025 11:00 AM	30.06.2025 12:30 PM
2	व्यावसायिक प्लॉट नं. A/NC/1, A/NC/45 & A/NC/46 (Corner), Central Spine (Block-A), Jaipur (Zone-9)	हाँ	2306.25	व्यावसायिक	नियमानुसार	1,45,29,380	3,15,000	01.07.2025 11:00 AM	02.07.2025 12:30 PM
3	व्यावसायिक प्लॉट नं. BC/17/S-23, Central Spine (Block-B), Jaipur (Zone-9)	हाँ	4985.19	व्यावसायिक	नियमानुसार	1,49,55,570	1,50,000	18.07.2025 11:00 AM	21.07.2025 12:30 PM
4	संस्थानिक प्लॉट नं. 10A, Ramchandrapura Scheme, Jaipur (Zone-9)	ना	1000.00	संस्थानिक	नियमानुसार	24,20,000	1,21,000	22.07.2025 11:00 AM	23.07.2025 12:30 PM

* अधिकतम ऊंचाई: एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्राप्त एन.ओ.सी. के अनुसार, जो भी कम हो। बोली विस्तार: बोली लगाने का समय आगामी 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जा सकता है (असीमित समय तक जब तक बोलियां लगातार प्राप्त होती रहें)। यदि इस विस्तारित अवधि के भीतर कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो बोली स्वतः बंद हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया जविप्रा वेबसाइट: www.jda.rajasthan.gov.in पर लॉग ऑन करें या ई-नीलामी लिंक पर या ओएसडी (आरएम) से संपर्क करें (0141-2570678, 2569696 एक्स.-7021,7226, 1128, मोबाइल नंबर 9462569696)

नीलामी के नियम व शर्तों के लिए विजिट करें ज.वि.प्रा. की वेबसाईट **www.jda.rajasthan.gov.in**

Scan QR Code For More Details

अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: **+91-9462 569 696**

इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

राज. संवाद/सी/2025-26/4307